

**केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर 334006**

प्रमाणक:-3(35)BK/2009/

दिनांक:- 07.03.14

निविदा प्रपत्र

- | | |
|--|--|
| 1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | : दिनांक 21.03.2014 दोपहर 1.00 बजे |
| 2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय | : दिनांक 21.03.2014 दोपहर बाद 3.00 बजे से |
| 3. अरनेस्ट राशि | : रु.10,000/- - रूपये अक्षरे दस हजार मात्र |
| 4. निविदा की मान्य अवधि | : 120 दिन |
| 5. निविदा शुल्क | : रु.500/- |

संस्थान के नकारा / अतिरिक्त जानवरों के निस्पादन बाबत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुबंध दरों हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें आदि नीचे दिये अनुसार हैं:

क्र.सं.	जानवर की श्रेणी	दर (नकारा / अतिरिक्त जीवित जानवर) प्रति किलोग्राम
1.	मैंडा- स्वरथ	रु. (अक्षरे रूपये प्रति किलो)
2.	भेड़- स्वरथ	रु. (अक्षरे रूपये प्रति किलो)
3.	मैंडा एवं भेड़-कमजोर	रु. (अक्षरे रूपये प्रति किलो)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भांति पढ़ ली हैं तथा मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार हैं। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। यह मेरे संज्ञान में भली-भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में अधिकतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु वाध्य नहीं हैं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मात्र है।


हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
पूरा पता
मोबाइल नं.

नियम एवं शर्तें:-

1. निविदा इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी। सशर्त एवं तार द्वारा भेजी गई तथा देरी से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। साथ ही पहचान पत्र (सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत) की फोटो प्रति संलग्न करना अति आवश्यक है इसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. दर प्रति किलो (जीवित) जानवर के हिसाब से देनी होगी। नकारा जानवरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जानवरों की श्रेणी का निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
3. तीनों श्रेणी में एक ही निविदादाता की उच्च दर नहीं होने की स्थिति में स्वरथ मैंडा एवं भेड़ के लिए दी गई दर का औसत हुये प्रथम उच्च दरदाता मानते हुये अन्य श्रेणी कमजोर मैंडा एवं भेड़ की उच्च दर देने के लिए बातींत के लिए बुलाया जायेगा।
4. निविदा में दर प्रति किलोग्राम (जीवित) जानवर के हिसाब से दर्शाते हुये बन्द लिफाफे में संस्थान के प्रभागाध्यक्ष महोदय के नाम कर्य अनुभाग में टेंडर बॉक्स में दिनांक 21.03.2014 दोपहर 1.00 बजे तक डालना होगा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। उक्त तिथि को नियत समय बाद, देरी से प्राप्त, सशर्त व तार द्वारा प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं की जायेगी। तथा निविदा उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
5. अनुबंधकर्ताओं को निविदा के साथ रु. 10,000/- अक्षरे दस हजार मात्र बतौर अरनेस्ट राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट CSW UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में जमा करानी होगी। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाइट से लिया जाता है तो निविदा प्रपत्र का शुल्क का अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है। बिना अरनेस्ट राशि और निविदा शुल्क के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

क.प.उ.

6. सफल निविदादाता को कार्य आदेश से पूर्व रु.30,000/- धरोहर राशि के जमा कराना होगा। उसके बाद ही कार्य आदेश दिया जायेगा। यह राशि अनुबंध कार्य संतोषजनक पूरा होने के उपरात ही वापस लौटाई जायेगी। कार्य समय पर व संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में जमा करवाई जाने वाली धरोहर राशि जब्त करते हूये कार्य आदेश को निरस्त किया जायेगा।
7. यह अनुबंध दिनांक 01.04.2014 या कार्यादेश जारी होने की तिथि से 31.03.2015 तक के लिए मान्य होगा। संस्थान के किसी कार्य में ठेकेदार की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान/सम्पत्ति का नुकसान होने पर अनुबंध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जमा अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और नुकसान की भरपाई ठेकेदार से नकद वसूल की जायेगी। इस संबंध में संस्थान के प्रभारी अधिकारी महोदय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।
8. नकारा जानवर प्रत्येक 15 दिनों में या सेक्टर प्रभारी द्वारा निश्चित दिन को सुबह चराई पर जाने से पहले (सर्दियों में प्रातः 8.00 बजे एवं गर्मियों में प्रातः 6.30 बजे) कमटों के समक्ष तुलाई करवाकर उठाने होंगे। प्रभारी सेक्टर के द्वारा टेलीफोन पर या लिखित में आपको जानवर उठाने के लिये तारीख व समय सूचित किया जायेगा। आपको बिना चूक उसी निर्धारित समय पर उपस्थित होकर समिति के सामने जानवर तुलवाकर उसकी कीमत जमा करानी होगी और तुरन्त जानवर उठाने होंगे।
9. प्रभारी सेक्टर द्वारा मोबाइल/दूरभाष पर सूचना देने के बाद यदि ठेकेदार समय पर सेक्टर पर उपस्थित नहीं होता है तो उस स्थिति में मृत जानवर की कीमत बुक वेल्यू के हिसाब से ठेकेदार को जमा करवानी होगी अन्यथा जमा धरोहर राशि में से यह कीमत वसूल कर ली जायेगी।
10. पेटी ठेका मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद में प्रभारी अधिकारी/निदेशक महोदय का निर्णय ही अंतिम होगा जिसे मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
12. आदेश में वर्णित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करने का इकरारनामा रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टीप पेपर पर पंजीकृत नोटरी पब्लिक से अपने खर्चे पर प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अग्रिम राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
13. संस्थान को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुलझित है।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी

मैंने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा सभी नियम व शर्त मुझे मान्य/स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
पूरा पता
मोबाइल नं.